

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2787]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2015/पौष 2, 1937

No. 2787]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2015/PAUSA 2, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2015

का.आ.3508(अ).—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (ii) के अधीन जारी भारत के राजपत्र के भाग -II, खंड - 3, उप-खंड (ii) के अंतर्गत 02 फरवरी, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 313 (अ) तारीख 27 जनवरी, 2015 की इस अधिसूचना के हिन्दी पाठ में केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है -

02 फरवरी, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 313 (अ) तारीख 27 जनवरी, 2015 में -

1. पृष्ठ संख्या 2 में तहसील का नाम "केशवरापाटन" के स्थान पर "केशवरायपाटन" पढ़ा जाए।

[फा० सं० आर०ओ०यू० - 31015/9/13 - ओ०आर०-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2015

S.O.3508(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (Central Act 50 of 1962) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. 313(E) dated 27th January, 2015 published in page No. 3 in part II, section 3, subsection (ii) of the Gazette of India, dated 02nd February, 2015 namely :-

In the notification S.O. No. 313(E) dated 27th January, 2015 published in the gazette on 02nd February, 2015 :-

1. At the page No. 3 against Name of Tehsil "KESHARRAIPATAN" read "KESHAVRAIPATAN"

[F. No. R-31015/ 9 / 13-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

5425 GI/2015